**Gasased Power Plant in Punjab**

4517. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government propose to instal gas-based power plants in Punjab ;

(b) if so, the details thereof and time by which these will become operative: and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

**Privatisation of Power Distribution in Delhi**

4518. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government have decided to go in for large scale privatisation of power distribution in the capital contrary to the recommendations of the high powered Balakrishnan Committee for the creation of an Electricity Board for Delhi;

(b) if so, whether the Stale Government of Delhi has been ignored in thii respect even for consultation;

(c) the steps Government propose to take to privatise power sector ; and

(d) whether any power house in Delhi has been placed under National Thermal Power Corporation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) and (b) The decision to privatise electricity dis tribution in Delhi is based on the recom mendations of a Task Force set up under the Chairmanship of Chief Secretary, Delhi. This was subsequent to the re commendations of Balakrishnan Com mittee. Delhi Administration is involved in this exercise; offers from private parties for this purpose have been invited by them.

(c) Delhi Administration is evaluating the offers received from private agencies for handing over the electricity distribu-tion to the private sector. They are also evaluating bids received from private parties for setting up the 400/450 MW Combined Cycle Gas-based Power Project at Bawana.

(d) The management of Badarpur Thermal Power Station has been entrusted to the National Thermal Power Corporation on an agency basis by the Ministry of Power with effect from 1-4-1978.

**राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति**

4519. श्री राम जेठमलानी

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन बोर्डों की दशा सुधारने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और क्या सरकार ने इन बोर्डों द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत मूल्य का आकलन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो किस-किस बोर्ड का विद्युत उत्पादन लागत मूल्य अधिकतम और न्यूनतम है, तथा किस-किस बोर्ड द्वारा अधिकतम और न्यूनतम दरों पर आम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है, उनकी क्रमशः दरें कितनी-कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) संभूति आधारों पर तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहायता की गणना करने के बाद भी, वर्ष 1992-93 के दौरान 5 राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे थे ।

(ख) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र भार अनुपात में सुधार करने, पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने, टैरिफ संरचना को तर्क-संगत बनाने, न्यूनतम कृषि टैरिफ इत्यादि को निर्धारित करने के लिए, एक कार्ययोजना को जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पारित किया गया था । विभिन्न राज्यों द्वारा विद्युत की आपूर्ति तथा वसूली की औसत लागत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) । बिजली आपूर्ति की प्रति यूनिट लागत असम में उच्चतम तथा केरल में निम्नतम है ।

**विवरण**

**31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य बिजली बोर्डों का वित्तीय निष्पादन (अनंतिम)**

| क्र० सं० | रा०वि०बो० का नाम | आपूर्ति की औसतन लागत | औसत वसूली (पैसा/ कि०वा० आ०) |
|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश . | 105.56 | 97.33 |
| 2. | बिहार . | 188.04 | 122.22 |
| 3. | गुजरात . | 160.36 | 119.01 |
| 4. | हरियाणा . | 139.62 | 82.05 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश . | 109.99 | 108.29 |
| 6. | कर्नाटक . | 98.77 | 97.96 |
| 7. | केरल . | 83.00 | 81.22 |
| 8. | मध्य प्रदेश . | 157.99 | 132.10 |
| 9. | महाराष्ट्र . | 148.06 | 141.84 |
| 10. | उड़ीसा . | 104.99 | 103.26 |
| 11. | पंजाब . | 126.91 | 78.83 |
| 12. | राजस्थान . | 141.60 | 113.25 |
| 13. | तमिलनाडु . | 133.27 | 108.26 |
| 14. | उत्तर प्रदेश . | 155.47 | 113.14 |
| 15. | प० बंगाल . | 163.97 | 119.88 |
| 16. | असम . | 255.95 | 120.29 |
| 17. | मेघालय . | 119.49 | 89.50 |
| | जोड़ . | 139.02 | 112.28 |

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का तीन भागों में बांटा जाना**

4520. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बालकृष्ण समिति ने गत वर्ष दिल्ली के आम विद्युत् उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के स्थान पर विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एक शक्ति संपन्न स्वशासी बोर्ड गठित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों की अपेक्षा करके दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को तीन भागों (डिवीजनों) में बांटने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार के विचाराधीन दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में अंतिम रूप से बदलाव लाने सम्बन्धी प्रस्तावित रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रस्तावित रूपरेखा में दिल्ली के आम मतदाता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो किस रूप में और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) :** (क) बालाकृष्णन् समिति ने अपनी दिसम्बर, 1989 की रिपोर्ट में डेसू के स्थान पर केन्द्रीय सरकार के सांविधिक नियंत्रण में विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अधीन एक बिजली बोर्ड गठित किए जाने की सिफारिश की थी।

(ख) से (ङ) डेसू के बढ़ते हुए वित्तीय घाटों और पारेषण तथा वितरण प्रणाली में वृद्धि करने/ उसका आधुनिकीकरण करने के लिए आन्तरिक संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए और सरकार द्वारा बाद में गठित कार्यकारी बल की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में विद्युत वितरण का निजीकरण करने का निर्णय लिया गया है। शेष कार्यों तथा उत्पादन और वितरण के मामले में डेसू अपनी विद्युत् सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए काफी सीमा तक केन्द्रीय विद्युत् संगठनों पर निर्भर है। सरकार दिल्ली में विद्युत् आपूर्ति प्रणाली को, इसके बेहतर और कुशल प्रबन्ध के लिए सुव्यवस्थित करने के वास्ते विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। तथापि, डेसू को तीन खण्डों में विभाजित करने के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दिल्ली की वर्तमान विद्युत् आपूर्ति प्रणाली की पुनःसंरचना के सम्बन्ध में कोई भी स्कीम बनाते समय दिल्ली की सरकार के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

**Hydro Power Potential in the Northern Region**

4521. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) what is the likely peaking shortage of Power in U.P. by the year 1996-97;

(b) what is the Hydro-power potential that exists in the Northern region;

(c) how much percentage of this potential has been harnessed so far;

(d) whether it is a fact that there was a continuous decline of hydel-thennal mix in the country;

(e) if so, what is the current ratio of this mix; and